



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2017/भाद्र 29, 1939

No. 371]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2017/ BHADRA 29, 1939

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 1 सितम्बर, 2017

फा.सं.के.का.:मांस्वी:पेंशन:444— बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 में संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् - :

- (1) ये विनियम सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2017 कहलाएंगे।
(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद कहे गये विनियमों के रूप में संदर्भित), -विनियम 2, के खंड (एस) में उपखंड (सी) के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाए, अर्थात्:-
(डी) मई 2005 के प्रथम दिवस या उसके बाद सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त या मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के संबंध में, बैंक में अपनी सेवा के पिछले दस महीनों के दौरान कर्मचारी द्वारा आहरित, नियत वेतन वृद्धि सहित मूल वेतन, यदि कोई हो, और विशेष वेतन, स्नातक वेतन, व्यावसायिक योग्यता वेतन, नियत कार्मिक वेतनका वेतन वृद्धि घटक और स्थानापन्न वेतन, यदि कोई हो,;
परंतु 01 मई 2005 से प्रभावी इस खंड के प्रावधानों में अप्रैल 1998 के प्रथम दिवस पर या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 से पहले सेवा में सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में प्रभाव पड़ेगा।
- उक्त विनियमों के विनियम 3 के उप - विनियम (4) में, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“(4) (क) अधिसूचित तिथि के बाद और 31 मार्च 2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में सेवारत हो.”
(ख) उप - विनियम 10 के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमों को सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् :-

(11) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और 27 अप्रैल 2010 तक बैंक की सेवा में सेवारत रहे हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(12) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे तथा उस तिथि से और 27 अप्रैल 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करते हों;

(13) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए और मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

(14) जो बैंक की सेवा में 29 सितम्बर 1995 से पहले थे, और उस तिथि के बाद बैंक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो, ऐसे मामलों में जैसा कि इन विनियमों के अधीन यथास्थिति, उनके परिवार को पेंशन या उनके परिवार, पेंशन के हकदार होंगे, यदि मृतक का परिवार निपटान में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा और शर्तों का पालन करता हो;

4. उक्त विनियमों के विनियमन 28 में, प्रावधानों के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 29 सितम्बर 1995 को या उसके बाद सेवा में नहीं थे, लेकिन 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा के उपरांत इस संबंध में बोर्डद्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार एवं सरकार द्वारा अनुमोदित, योजना में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन पेंशन फंड में शामिल होने के हकदार होंगे।"

5. उक्त विनियमों के विनियमन 36 में, -

(क) खंड (सी) में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु 1 मई 2005 को, या से, अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके पश्चात, परंतु 31 अक्टूबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए, उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार साठ रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को, या उसके बाद, सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की तीन सौ पचपन रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ तीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह होगी।

(ख) खंड (सी) के बाद निम्नलिखित खंड (डी) शामिल किया जायेगा, अर्थात् :-

(डी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार चार सौ पैंतीस रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो 1 मई 2005 को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की चार सौ अस्सी रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार अस्सी रुपये प्रतिमाह होगी।

परंतु 1 मई 2005 के प्रथम दिवस से, इस खंड के प्रावधान अंशकालिक कर्मचारी सहित किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे, जो 1 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए।

(ई) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए उनको एक हजार सात सौ उन्नासी रुपये प्रतिमाह और अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में जो नवम्बर 2007 माह के प्रथम दिवस को, या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए एक तिहाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की पाँच सौ पंचानवे रुपये प्रतिमाह, आधा वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की आठ सौ बानवे रुपये प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतनमान पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी की एक हजार तीन सौ उन्तालिस रुपये प्रतिमाह होगी।

6. उक्त विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियम (4) में,-

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (III) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात:-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों “छह हजार सात सौ छप्पन” को शब्द “सात हजार और चालिस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात:-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसेकि शब्दों “छह हजार सात सौ छप्पन” को शब्द “सात हजार और चालिस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल नौ हजार पाँच सौ पैसठ रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान एवं खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात:-

‘परंतु यह कि मई 2005 के प्रथम दिवस पर और से, विनियमों के इस उप-खंड में प्रभावी जैसे कि शब्दों “तीन हजार तीन सौ अठत्तर” को शब्द “तीन हजार पाँच सौ बीस” से प्रतिस्थापित किया गया है।

(iv) 1 मई 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल चार हजार सात सौ तिरासी रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

(v) 1 नवम्बर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के संबंध में केवल पाँच हजार नौ सौ अठ्ठाइस रुपए प्रति माह, दोनों अधिकारियों और कामगारों के लिये;

7. उक्त विनियमों के विनियम 48 में, निम्नलिखित विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“48. बैंकों को हुई आर्थिक हानि की वसूली.-

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर कदाचार या लापरवाही या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है या आहरित कर सकता है, चाहे स्थायी रूप से या निर्धारित अवधि के लिये, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने के आदेश दे सकता है।

परंतु कोई भी अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जायेगा।

परंतु जहां पेंशन के एक अंश रोक दिया गया है या आहरित किया गया है, पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन की रकम इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी:

परंतु यह भी कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जायेगी तथा प्राधिकारी द्वारा वह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जायेगी तथा समाप्त की जायेगी मानो कर्मचारी सेवा में है।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जायेगी।

परंतु इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिये लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहाँ वसूली सामान्यता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी।

8. उक्त विनियमों के विनियम 52 में:-

(ए) उप-विनियमन (1) के लिये, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

“(1) किसी कर्मचारी के संबंध में जहां विनियम 34 या विनियम 46 के प्रावधान लागू होते हैं, परिवार की पेंशन के अलावा एक पेंशन उस तारीख से देय होगी, जिस पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है।”

(बी) उप-विनियम (3) में निम्न प्रावधान को शामिल किया जायेगा :-

“परंतु 27 अप्रैल 2010 को या उसके बाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने वाले को परिवार पेंशन सहित पेंशन 27 नवंबर 2009 से लागू होगी।”

9. उक्त विनियम के परिशिष्ट II में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

परिशिष्ट II

(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगी :-

(1) अधीनस्थ श्रेणी के जो कर्मचारी, 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 01 नवंबर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जनवरी 1986 को या उसके पश्चात परंतु 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी

मूल पेंशन का वेतनमान प्रतिमाह महंगाई राहत की दर	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)
(i) रु. 1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(ii) रु. 1251/- से रु.2000/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 1250/- से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत
(iii) रु.2001/- to रु.2130/-	रु. 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु. 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा रु. 2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत।
(iv) रु 2130/- से अधिक	रु 1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा + रु 2000/- और रु. 1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- और रु. 2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा + रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।

- (2) कामगार श्रेणी के जो कर्मचारी 01 नवंबर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं तथा अधिकारी श्रेणी के जो कर्मचारी 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :

मूल पेंशन का मूल पेंशन के वेतनमान प्रतिमाह		प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	
(i) रु. 2400/- तक		0.35 प्रतिशत
(ii) रु. 2401/- से रु.3850/-		रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 2400/- से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत।
(iii) रु. 3851/- से रु.4100/-		रु.2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु.3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत + रु. 3850 से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।
(iv) रु.4100/- से अधिक		रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु. 3850/- और रु. 2400/- के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा + रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत।

- (3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

मूल पेंशन का मूल पेंशन के वेतनमान प्रतिमाह		प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)	
(i) रु. 3380/- तक		0.25 प्रतिशत
(ii) रु. 3381/- से रु.5420/-		रु.3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु.3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत।
(iii) रु. 5421/- से रु.5770/-		रु.3380/- का 0.35 प्रतिशत तथा + रु.5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत + रु.5420 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत।
(iv) रु.5770/- से अधिक		रु. 3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा + रु. 5420/- और रु. 3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा + रु.5770/- और रु. 5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत।

परंतु, 1 मई 2005 पर या से कर्मचारियों के संबंध में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात लेकिन 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में अद्यौगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1684 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट नीचे दिये गये अनुसार परिकलित की जायेगी :-

मूल पेंशन का मूल पेंशन के बेतनमान प्रतिमाह	प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर
(1)	(2)
(i) रु. 3550/- तक	0.24 प्रतिशत
(ii) रु. 3551/- से रु.5660/-	रु.3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु.3550/- से अधिक मूल पेंशन का 0.20 प्रतिशत।
(iii) रु. 5651/- से रु.6010/-	रु.3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु.5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत + रु.5650 से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत।
(iv) रु.6010/- से अधिक	रु. 3550/- का 0.24 प्रतिशत तथा + रु. 5650/- और रु. 3550/- के बीच के अंतर का 0.20 प्रतिशत तथा + रु.6010/- और रु. 5650/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा + रु. 6010/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत।

- (4) 1 मई 2005 पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में अद्यौगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.18 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

परंतु 1 मई 2005 पर या से, कर्मचारियों के संबंध में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके बाद लेकिन 30 अप्रैल 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, महंगाई राहत इस खंड की शर्तों के अनुसार देय होगी :

परंतु 1 नवंबर 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2836 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिये देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिये वसूली योग्य होगी। उपभोक्ता प्रत्येक 4 अंकों के लिये महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट मूल पेंशन की 0.15 प्रतिशत की दर से परिकलित की जायेगी:-

- (5) महंगाई भत्ता पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर पहली फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिये और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर और 01 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिये देय होगा।
- (6) परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के संबंध में महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी।
- (7) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राशि की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जायेगी।
- (8) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं हैं।

- (9) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योगन्यूनतम पेंशन से अधिक है, वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा।
10. उपरोक्त विनियमों में परिशिष्ट III के लिये निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

**“परिशिष्ट III
(विनियम 39 देखें)**

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

- (क) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था:-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु. 1500/- तक	‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 375/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु. 1501 से रु.3000	‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 450/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.3000से अधिक	‘वेतन’ का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 600/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 1250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

- (ख) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहाँ कर्मचारी कामगार श्रेणी में था और 01 नवम्बर 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था या जहाँ कर्मचारी अधिकारी वर्ग में था और 01 जुलाई 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था :-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु.2870 तक	‘वेतन’ का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 720/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.2871 से रु.5740	‘वेतन’ का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 860/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

- रु.5740से अधिक 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1150/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 2400/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।
- (ग) 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में :-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु. 4040 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1015/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.4041से रु.8080	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1212/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.8080 से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1616/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 3378/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात परंतु 31 अक्टूबर 2002 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु.4210 तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1056/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.4211 से रु 8420	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1262/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।

रु.8420 से अधिक 'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1687/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 3521/- प्रतिमाह होगा।

(घ) 01 मई 2005 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)
रु.5720तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1435/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.5721से रु.11440	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 1715/- न्यूनतम प्रतिमाह होगा।
रु.11440 अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिये की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिये नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2292/- न्यूनतम प्रतिमाह तथा अधिकतम रु. 4784/- प्रतिमाह होगा।

परंतु, 01 मई 2005 से, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के मामले में जो 01 नवम्बर 2002 को या उसके पश्चात परंतु 30 अप्रैल 2005 को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, परिवार पेंशन की साधारण दरें इस खंड के अनुसार निम्न होंगी :-

(च) 01 मई 2007 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों (अधिकारी तथा कामगार दोनों) के संबंध में:-

टिप्पणी :-

- (1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा।
- (2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (एस) में निर्धारित 'वेतन' तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा
- (3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी।
- (4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पूर्वव्यापी प्रभाव से दिए गए उक्त विनियमों को संयुक्त नोटों और निपटान के लिये सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर के कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित है। इसलिए, इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी अशोक , महाप्रबन्धक

[विज्ञापन III/4/असा./236/17]

नोट : मूलविनियम 29.09.1995 में प्रकाशित किए गए और बाद में भारत के राजपत्र के भाग III, धारा में प्रकाशित 4 निम्न अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किया गया, अर्थात्- :

1. संख्या. 25, दिनांक 21.06.2003
2. संख्या. 42, दिनांक 16.10.2004
3. संख्या. 67, दिनांक 21.03.2012
4. संख्या. 21, दिनांक 24.05.2014

CENTRAL BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 1st September, 2017

F.No. CO:HRD:PEN:444.- In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Central Bank of India(Employees') Pension(Amendment) Regulations, 2017.
- (2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), -

In regulation 2, in clause (s), after sub-clause(c), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(d) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the first day of May, 2005 the basic pay including stagnation increments, if any, and Special pay, Graduation Pay, Professional Qualification Pay, increment component of Fixed Personnel Pay and Officiating Pay, if any, drawn by the employee during the last ten months of his service in the Bank:

Provided that with effect from 1st day of May, 2005 the provisions of this clause shall have effect in relation to an employee who retired or died while in service on or after 1st day of April, 1998 but before 30th day of April, 2005”.

3. In regulation 3 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) (a) join the service of the bank on or after the notified date and on or before the 31st day of March, 2010;”.

(b) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

- “(11) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and continue in the service of the Bank as on the 27th April, 2010 provided such employee meets the requirement and comply with the conditions laid down in the settlement;
- (12) were in the service of the Bank prior to the 29th September, 1995 and retired after that date and prior to 27th April, 2010 provided such employee meets the requirements and comply with the conditions laid down in the settlement;
- (13) wherein service of the Bank, prior to the 29th September, 1995 retired after that date and had died in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meets the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement;
- (14) were in the service of the bank prior to the 29th September, 1995 and died while in service of the Bank after that date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be under these regulations, if the family of the deceased meet the requirement and complies with the conditions laid down in the settlement.”.

4. In regulation 28 of the said regulations, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that employees who ceased to be in service on or after the 29th September, 1995 on account of voluntary retirement before attaining the age of superannuation but after rendering service for a minimum period of 15 years in accordance with the Scheme framed in this regard by the Board with the approval of the Government, shall be entitled to join the Pension Fund, subject to the compliance of the terms and conditions mentioned in the Scheme.”

5. In regulation 36 of the said regulations,-

- (a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that on and from the 1st day of May, 2005 the amount of minimum pension, in respect of an employee, other than a part-time employee, who retired on or after the 1st April, 1998 but before the 31st October, 2002 shall be rupees one thousand and sixty per month and rupees three hundred and fifty five in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and thirty in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees seven hundred and ninety five in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after 1st day of April, 1998.”;

- (b) after clause (c), the following clause (d) shall be inserted namely:-

“(d) rupees one thousand four hundred and thirty five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of May 2005 and rupees four hundred and eighty per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees seven hundred and twenty per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees one thousand and eighty per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of May 2005:

Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this clause shall also apply to an employee including a part-time employee who retired on or after 1st November 2002 but on or before 30th April 2005.;

- (e) rupees one thousand seven hundred and seventy nine per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2007 and rupees five hundred and ninety five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees eight hundred and ninety two per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale of wages and rupees one thousand three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2007.”.

(6) In regulation 40, of the said regulations, in sub-regulation (4),-

(i) in clause (a), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted.;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005; ’;

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.’”

(ii) in clause (b), after sub-clause (ii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “six thousand seven hundred and fifty six”, the words “seven thousand and forty”, had been substituted;

(iv) nine thousand five hundred and sixty five rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.’;

(v) Eleven thousand eight hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(iii) in clause (c), after sub-clause (iii), the following proviso and clause shall be inserted, namely:-

‘Provided that on and from the 1st day of May 2005 the provisions of this sub-clause shall have effect as if for the words “three thousand three hundred and seventy eight,” the words “three thousand five hundred and twenty,” had been substituted.;

(iv) four thousand seven hundred and eighty three rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of May 2005.’.

(v) five thousand nine hundred and twenty eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2007.

(7) For regulation 48 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely:-

“48. Recovery of pecuniary loss caused to Bank.-

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or for acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

Provided also that the departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

(2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institutions:

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3)Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.”.

8. In regulation 52 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 34 or regulation 46 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires.”.

(b) in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that pension including family pension to those who opted to join the Bank Employees’ Pension Scheme on or after the 27th April, 2010 shall be payable with effect from the 27th November, 2009.”.

9. For Appendix II to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix II

(See regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under :-

(1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers’ cadre and who retired on or after the 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:-

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i) UptoRs.1250	0.67 per cent
(ii) Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent ofRs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii) Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent ofRs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000.
(iv) Above Rs.2130	0.67 percent of Rs.1250 plus 0.55 percent the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 and Rs.2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.2130.

(2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers’ cadre and who retire on or after the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers

in the series 1960 = 100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
i. UptoRs.2400	0.35 per cent
(ii) Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400
(iii) Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850
(iv) above Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100

- (3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :-

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i) UptoRs.3380	0.25 per cent
(ii) Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent basic pension in excess of Rs.3380
(iii) Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5420.
(iv) Above Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.5770 and Rs.5420 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.5770.

Provided that on or from the 1st day of May 2005 in the case of employees who retire on or after the 1st day of April 1998 but on or before the 31st October 2002, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1684 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated in the manner given below:

Scale of basic pension per month	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(i) UptoRs.3550	0.24 per cent
(ii) Rs.3551 to Rs.5650	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent basic pension in excess of Rs.3550
(iii) Rs.5651 to Rs.6010	0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 of basic pension in excess of Rs.5650

(iv) Above Rs.6010 0.24 per cent of Rs.3550 plus 0.20 per cent of the difference between Rs.5650 and Rs.3550 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.6010 and Rs.5650 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.6010

- 4) In respect of employees who retire on or after the 1st day of May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent of basic pension:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2002 but on or before 30th day of April 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided further that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2007, Dearness Relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent of basic pension.

- (5) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with the 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.
- (6) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.
- (7) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.
- (8) Dearness relief is not payable on additional pension.
- (9) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.”.

10. For Appendix III to the said regulations, the following Appendix shall be substituted, namely :-

**“Appendix III
(See Regulation 39)**

The ordinary rates of family pension shall be as under:-

- (a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before the 1st day of July, 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.
Above Rs.3000	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and

additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

- (b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after the 1st day of November, 1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after the 1st day of July 1993:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
UptoRs.2870	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.
Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
Above Rs.5740	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

- (c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of April, 1998: -

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
UptoRs.4040	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1015 per month.
Rs.4041 to Rs.8080	20 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1212 per month.
Above Rs.8080	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1616 per month and a maximum of Rs.3378 per month.

- (d) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of the May 2005:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
UptoRs.5720	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1435 p.m.
Rs.5721 to Rs.11440	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1715 p.m.
Above Rs.11440	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2292 p.m. and maximum of Rs.4784 p.m.:

Provided that on and from the 1st day of May 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November 2002 but on or before the 30th April 2005, ordinary rates of family pension shall be in terms of this clause.

- (e) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November 2007:-

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family Pension (2)
UptoRs.7090	30 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1779 p.m.
Rs.7091 to Rs.14180	20 per cent of the Pay shall be basic family pension plus 20 per cent of allowance which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.2186 p.m.
Above Rs.14180	15 per cent of the Pay shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2841 p.m. and maximum of Rs.5930 p.m.

Notes :-

- (1) Dearness relief is not payable on additional family pension.
- (2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of Pay as defined in clause (s) of regulation 2 and allowances as defined in the Explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.
- (3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.
- (4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.”.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

B. ASHOK, General Manager

[ADVT III/4/Exty./236/17]

Note: The principal regulations were published on 29.09.1995 and subsequently amended vide following notifications published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, namely:—

1. No.25, dated the 21st , day of June, 2003
2. No.42, dated the 16th , day of October, 2004
3. No.67, dated the 21st , day of March, 2012
4. No.21, dated the 24th , day of May, 2014